"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति–बहराइच की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन' (DWSM) समिति की दिनांक 05–05–2026 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :–

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत जारी दिषा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनानें तथा ग्रामीण पेयजल कायक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन व उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश संख्या 2211/38–5– 2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'** की बैठक दिनांक 05.05.2026 को आयोजित की गयी बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया –

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी – उपाध्यक्ष
3. मुख्य राजस्व अधिकारी – सदस्य
4. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य – सदस्य
5. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी – सदस्य
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बहराइच –सदस्य सचिव
7. अधिशासी अभियन्ता, मंध्याचल विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जनपद –बहराइच।
8. डी.पी.एम.यू. बहराइच समस्त कर्मचारी।
9. डी0टी0एल0, टी0पी0आई0, बहराइच।
10. श्री राकेश तिवारी, मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 (जे0वी0) –फर्म प्रतिनिधि
11. श्री हरिभान सिंह मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा–वी0पी0एल0 (जे0वी0) –फर्म प्रतिनिधि
12. श्री अंकित सिंह, मेसर्स वी0टी0एल0 –फर्म प्रतिनिधि
13. श्री जिला समन्वयक वाटरएड, बहराइच –संस्था प्रतिनिधि

दिनांक 05.05.2026 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0 एम0एल0(जे0वी0) एवं मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा–वी0पी0एल0 (जे.वी.) द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जल निगम(ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता जिला अनुश्रवण इकाई बहराइच, टी.पी.आई. एवं कार्यदायी फर्मो के परियोजना प्रबन्धक/प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया समीक्षा बैठक का विवरण निम्नवत् है–

1. जल जीवन मिशन फेज–2 फर्म मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0(जे0वी0)

अधिशासी अभियन्ता जल निगम–ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 871 ग्रामों मे कार्यो के सम्पादन हेतु चयनित किया गया है। 871 ग्रामों हेतु फर्म द्वारा 599 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 17 आवरण अनुबन्ध का गठन किया गया है। 599 नग योजनाओं के सापेक्ष 598 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके है। 558 नग लक्षित नलकूपों के सापेक्ष वर्तमान तक 557 नग नलकूपों के कार्य पूर्ण कर 234 नग की टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। 558 नग प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक 546 नग शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रारम्भ करते हुए 209 नग का कार्य पूर्ण किया गया है, तथा 386019 नग लक्षित एफ.एच. टी.सी. के सापेक्ष दिनांक 04.05.2026 तक 332214 नग गृह संयोजन की रिपोर्ट दी गई है। 7983.00 कि0मी0 प्रस्तावित वितरण प्रणाली के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 98 प्रतिशत कार्य कराया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा स्कीमों में शिरोपरि जलाशय पूर्ण होने के उपरान्त नियमित जलापूर्ति के लिए निर्देशित किया गया कि समस्त कार्यो की प्रगति हेतु मानव संशाधन की उपलब्धता बढाते हुये कार्यो को निर्धारित समयावधि में निष्पादित करना सुनिश्चित करें तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि उक्त अद्यतन आंकडों का प्रभावी अनुश्रवण करते हुये संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में किये गये कार्यो का मूल्यांकन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0(जे0वी0)

Scanned with CamScanner

2. जल जीवन मिशन फेज–5 फर्म मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा–वी0पी0एल0 (जे0वी0)

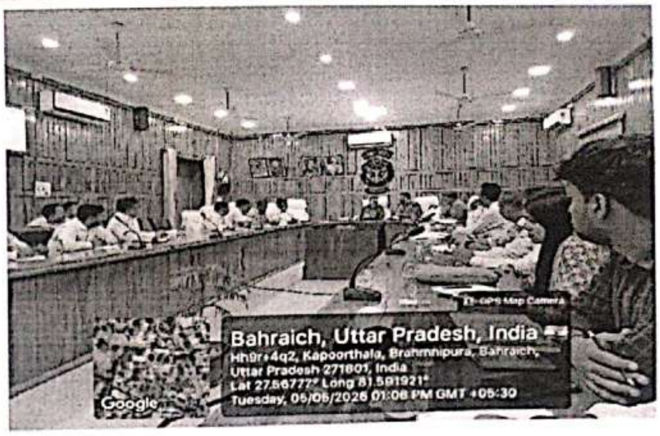

अधिशासी अभियन्ता जल निगम–ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा– वी0पी0एल0 (जे0वी0) द्वारा 209 ग्रामों हेतु फर्म द्वारा 162 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु गठन किया गया है। 162 नग योजनाओं के सापेक्ष 161 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके है। 174 नग लक्षित नलकूपों के सापेक्ष वर्तमान तक 171 नग नलकूपों के कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 172 नग प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक 31 नग शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 87614 नग लक्षित एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष दिनांक 04.05.2026 तक 74738 नग गृह संयोजन की रिपोर्ट दी गई है। 1883.00 कि0मी0 प्रस्तावित वितरण प्रणाली के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 86 प्रतिशत कार्य कराया गया है।

(कार्यवाही–फर्म वी0पी0एल0 / अधिशासी अभियन्ता)

3. जल जीवन मिशन फर्म मेसर्स वी0टी0एल0

अधिशासी अभियन्ता जल निगम–ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मेसर्स वी0टी0एल0 197 योजनाओं के सापेक्ष 101 योजना संचालित है जिसकी समीक्षा की गयी। साथ ही संस्था को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में लक्षित एफ0एच0टी0सी0 के सापेक्ष अवशेष एफ0एच0टी0सी0 सूचना के साथ बैठक में प्रतिभाग करना सुनिष्चित करें।

(कार्यवाही–फर्म वी0टी0एल0 / अधिशासी अभियन्ता)

❖ बैठक मे बिन्दुवार अन्य निर्देश दिये गये :–

1. निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुये सुदूर क्षेत्रों में जनमानस को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतों में नियमित व समय से संचालन कराकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त किये गये मार्गो का विना पुर्ननिर्माण कराये भुगतान न किया जाये, साथ ही कार्यदायी संस्था द्वारा योजनावार रिस्टेटमेंट की वस्तुस्थिति का अवलोकन करने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये, जिससे पाइप डालने के उपरान्त सड़क पुननिर्माण की खराब स्थिति की शिकायते जो मा0 जनप्रतिनिधियों एवं आनलॉइन के माध्यम से प्राप्त होती है उन शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जा चुका है।
3. निर्देशित किया गया कि 84 योजनायें जो कि ट्रायल एण्ड रन में है उनके सुचारू रूप संचालन कराते हुए शीघ्र पूर्ण करानें हेतु दोनों कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया।
4. बैठक में निर्देशित किया गया परियोजना ग्रामों में संचालित विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायत भवन एवं अन्य सरकारी भवनों में गृह जल संयोजन (टैप कनेक्शन) भवन के अन्दर अनिवार्य रूप से किया जाये।
5. पाइप पेयजल योजना की वितरण प्रणाली को अन्य विभाग द्वारा (पी0डब्ल्यू0डी0 व बी0एस0एन0एल0 विभाग) क्षतिग्रस्त करनें के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि संयुक्त रूप से बैठक कराते हुए समस्याओं का निराकरण कराया जाये।
6. समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम बहराइच को निर्देशित किया गया कि 57 में से 18 योजनायें पहले से अपलोड हो चुकी है व अवशेष 39 योजनाओं को भी जिला पंचायती राज अधिकारी से मिलकर पोर्टल पर जल्द से जल्द अपलोड कराकर हस्तान्तरण कराया जाये।
7. दोनो फर्मो तथा जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के निर्माण में यह सुनिश्चित करलें कि घरों में दिये जा रहे एफ.एच.टी.सी. का प्रेशर हेड से टेल तक सही है अथवा नहीं।
8. समीक्षा बैठक में विकास खण्ड तेजवापुर, फखरपुर, हुजूरपुर, चित्तौरा में आर्सेनिक की जांच कराकर स्वस्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये ग्रामवासियों को आर्सेनिक से होने वाले संक्रमण के दुष्प्रभाव से अवगत कराया जाये। उपरोक्त विकास खण्डों में ग्राउण्ड वाटर के आर्सेनिक की जांच की गयी जिसमें उसकी मात्रा तय मानक से अधिक पायी गयी, जो निकट भविष्य में स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है जिस हेतु भविश्य में सरफेस वाटर परियोजना से Source Sustainability Plan की आवश्यकता पड़ेगी।

Scanned with CamScanner

9. निर्देशित किया गया कि शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण होनें के उपरान्त नियमित जलापूर्ति होने की स्थिति संतोषजनक नही है कार्यदायी संस्था शिरोपरि जलाशय निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति लाते हुये परियोजना ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

10. निर्देशित किया गया कि फर्म मेसर्स पी.एन.सी. व वी.पी.एल. की पूर्ण 57 योजनाओं पर हैण्डपम्प के रिबोर पर होने वाले व्यय की समीक्षा कर उसकी धनराशि संचालित योजनाओं पर व्यय किया जाये जिससे कि योजनाओं का सुगमता से संचालन किया जा सके।

11. निर्देशित किया गया कि पूर्ण किये गये पाइप पेयजल योजनाओं में से प्रत्येक घर में प्रति दिन सुबह–शाम पानी अवश्य उपलब्ध कराया जाये और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि "हर घर जल" योजना से समस्त घर आच्छादित हो जाए ताकि एक भी घर अवशेष न रहे।

12. अधिशासी अभियन्ता तथा फर्म मेसर्स वी.पी.एल. को निर्देशित किया गया कि विकास खण्ड मिहीपुरवा के भरथापुर ग्राम पंचायत के वनग्राम के ग्राम वासी जो नई कालोनी सेमरहना में विस्थापित किये जानें है उनको पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जानें हेतु शासन स्तर से अनुमति प्रदान की गयी है जिसके क्रम मे पूर्व से स्वीकृत योजना सेमरहना में प्रस्तावित कार्य को विस्तारित करते हुए विस्थापित परिवारों को पेयजल की व्यवस्था की जाए तथा उस पर आनें वाले अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

13. अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जहा भी परियोजनाओं के जल कल परिसर में Earth Filling की आवश्यकता हो, उनकी सूंची बनाते हुए मुख्य विकसा अधिकारी की अध्यक्षता में संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कराते हुए कार्य शीघ्र कराया जाए।

उक्त के अतिरिक्त सभी को निर्देशित किया गया कि "जल जीवन मिशन" योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है, जिन ग्रामों में निर्माण कार्य कराया जा रहा है उनके निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और जल जीवन मिशन कार्यक्रम मे संचालित सभी कार्यो में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए यदि कार्यो के प्रति शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बधित के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बहराइच।

कार्यालय–अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बहराइच।

पत्रांक 679 /ज0जी0मि0/ जि0पे0स्व0मि0–बैठक/कार्य–7 / 23 दिनांक 19 मई ,2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेषक महोदय, उ0प्र0 जल निगम–(ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य विकास अधिकारी–बहराइच।
5. प्रभागीय वन अधिकारी–बहराइच।
6. अधिशासी अभियन्ता, मंध्याचल विद्युत वितरण खण्ड – प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जनपद–बहराइच।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी–बहराइच।
8. टी.पी.आई./डी0पी0एम0यू0–बहराइच।
9. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था(फर्म) को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
बहराइच।

Scanned with CamScanner